मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 13334 /NREGS-MP/NR-3/2009 भोपाल, दिनांक 23/10/2009

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
   जिला-समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र के अन्तर्गत लघु सिंचाई तालाबों एवं माइनर नहरों के रखरखाव कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में ।

संदर्भ: इस विभाग का पत्र क्रं: 4823/रा.ग्रा.रो.गा.यो./07 20.12.2007 ।

---0---

उपरोक्त विषय में लेख है पूर्व में उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु विभाग के पत्र क्रं. 4823/रा.ग्रा.रो.गा.यो./07 भोपाल दिनांक 20.12.2007 के द्वारा ग्राम पंचायतो को निर्देशित किया गया था । एतद्द्वारा उपरोक्त पत्र निरस्त किया जाता है । पूर्व में चल रहे कार्यों को पूर्व निर्देशानुसार ही पूर्ण किया जावे । नवीन स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों हेतु लघु सिंचाई तालाबों एवं माइनर नहरों के रखरखाव के कार्यो की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित कार्यपालन यंत्री जल संसाधन/नर्मदा घाटी विकास विभाग होगी । तदानुसार, उपयोजना का नवीन परिपत्र संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग

पृ. क्रमांक 13335 /NREGS-MP/NR-3/2009 भोपाल, दिनांक 23/10/2009

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल
4. सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल
6. कमिश्नर, समस्त संभाग मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अन्तर्गत लघु सिंचाई तालाबों एवं माइनर नहरों के रखरखाव कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में परिपत्र दिनांक

1.0 पृष्ठभूमि :

ग्रामीणों की पानी की आवश्यताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में तालाब व नहरों का निर्माण किया गया है। यह देखा गया है कि रखरखाव के अभाव में कई तालाब अनुपयोगी हो गये है तथा क्षेत्र में जल भंडारण संरचना उपलब्ध होने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसी प्रकार नहरों के रखरखाव के अभाव में भी कई किसानों के खेतों तक सिंचाई जल नहीं पहुंच पाता है। परिणाम स्वरूप निर्माण कार्यों मे एक बड़ी धनराशि निवेश किये जाने के बावजूद भी ये संरचनाऐं उपयोगी नहीं रह पाती है व वांछित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इन संरचनाओं की उपयोगिता लम्बे समय तक बनाये रखने के लिये इनका समुचित एवं नियमित रखरखाव आवश्यक है। समय पर उचित रखरखाव द्वारा संग्रहीत पानी के अनावश्यक अपव्यय को रोकते हुए तालाबों मे पानी नहर का पानी कोलाबे से किसान के खेत तक प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से पहुंचाया जाकर पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह देखा गया है कि रखरखाव कार्यो के लिये सामान्यतः नान प्लान मद में धनराशि उपलब्ध की जाना सम्भव नहा होता है। अतः इन कार्यों हेतु राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– म.प्र. में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश क्रियान्वित की जा रही है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (Operational Guidelines-2006) के अध्याय 5 की कॅण्डिका 5.1.3 में निहित निर्देशों के अनुसार अनुसूची–1 में उल्लेखित कार्यो का रख–रखाव भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के तहत क्रियान्वित किया जावेगा। तदनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के साथ ही अनुसूची–1 में निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के रख–रखाव कार्य भी इस योजना में लिये जा सकेंगे चाहे वे अन्य किसी योजना के तहत ही क्यों न निर्मित की गई हों।

कॅण्डिका 5.1.3 में अक्षरशः निम्नानुसार प्रावधानित है :–

"The maintenance of assets created under the Scheme (including protection of afforested land) will be considered as permissible work under NREGA. The same applies to the maintenance of assets created under other porgrammes but belonging to the sectors of works approved in Schedule I of the Act."

2.0 ध्येय :

इस परिपत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– म.प्र. में उपलब्ध धनराशि के माध्यम से प्रदेश के तालाबों के बंधानों एंव माइनर नहरों के रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

3.0 कार्य क्षेत्र :

इस परिपत्र के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम– मध्य प्रदेश में शामिल सभी जिले होंगे जिसमें स्थित जल संसाधन विभाग की समस्त बृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं की माईनर नहरों के साथ ही कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं के कमान क्षेत्र में स्थित माइनर नहरों का साधारण रख–रखाव कार्य होगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई तालाबों एवं कृषि तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित तालाबों के बंधान का रख–रखाव कार्य होगा।

4.0 कियान्वयन एजेन्सियां :

4.1 इस कार्य हेतु कियान्वयन एजेंसी संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग तथा अन्य जल संरचनाओ (40 हेक्टर तक सिचाई क्षमता के निर्मित तालाबों) हेतु यह एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। जिले में स्थित प्रत्येक सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र के लिए इन कार्यो के ग्राम पंचायतवार प्रस्ताव संबंधित जल उपभोक्ता संथा द्वारा बनाये जाकर, संबंधित सहायक यंत्री के माध्यम से संबंधित कार्यपालन यंत्री जल संसाधन/नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्रेषित किये जावेंगे। संबंधित कार्यपालन यंत्री, अपने कार्य क्षेत्र में स्थित सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र के लिए जिलेवार/परियोजनावार/जनपद पंचायतवार/जल उपभोक्ता संथावार/ग्राम पंचायतवार एकजाई प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे तथा जल उपभोक्ता संथाओ के माध्यम से संपादित किये जाने वाले कार्यों पर तकनीकी नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होगें। जबकि प्रशासकीय नियंत्रण हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तरदायी होंगे ।

4.2 बंधान/नहर कार्यों के जल उपभोक्ता संथावार प्राक्कलन, संबंधित *जल उपभोक्ता संथा* द्वारा बनाये जावेगें। क्रियान्वयन एजेन्सी को यह कार्य मस्टर रोल पर जॉबकार्डधारी मजदूर लगाकर जल उपभोक्ता संथा से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम– मध्य प्रदेश की गाइड लाइन के अनुरूप कराना अनिवार्य होगा।

5.0 संकर्म (कार्य) के चयन की प्रकिया :

संबंधित जल उपभोक्ता संथा द्वारा सुधार कार्यों की दृष्टि से बाँध एवं नहर में उत्पन्न दोषों के निदान के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित चरणों में कार्यवाही की जाकर तदनुसार संकर्म (कार्य) का चयन किया जावे :–

5.1 **तालाबों का रखरखाव** : संबंधित जल उपभोक्ता संथा द्वारा "वाक–थ्रू" के माध्यम से प्रत्येक वर्षाकाल के पूर्व एवं वर्षाकाल के पश्चात बाँध की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे।

प्रायः तालाबों के रख–रखाव कार्यों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

- बाँध क डाउन–स्ट्रीम के ढाल पर सामान्य झाड़ियों की सफाई।
- बाँध के टॉप पर सतह का समतलीकरण।
- बाँध के टॉप पर कड़ी मुरम फैलाना।
- बरसात के कारण बाँध के ढाल में उत्पन्न कटाव को कड़ी मिट्टी से भरा जाना।
- बंधान में परिलक्षित दारारों को खोलकर उन्हें फिर से कड़ी मिट्टी से भरना।
- बंधान के डाउन–स्ट्रीम पर से यदि कहीं पानी का रिसन हो रहा है अथवा गीलापन परिलक्षित हो रहा है, ऐसी स्थिति में स्थल पर आवश्यकतानुसार मिट्टी हटाकर उक्त दोष के कारणों का पता लगाकर तकनीकी आदश्यकतानुसार मिट्टी/बोल्डर/रेत भरी बोरियों को प्रभावित हिस्से पर रखना।
- डाउन–स्ट्रीम के ढाल की धसकी मिट्टी को रूपाकिंत ढाल अनुसार पुनः ठीक करना।
- बाँध के डाउन–स्ट्रीम टो से रिसे पानी को निकास नालियों द्वारा एकत्रित कर सुरक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में निकास नालियों की साफ–सफाई।
- बाँध के डाउन–स्ट्रीम ढाल पर चूहे के बिलों को खोजकर, उक्त बिलों को साफ कर पुनः कड़ी मिट्टी से भरना।
- बाँध के अप–स्ट्रीम में ऊबड़–खाबड़ पिंचिंग के पत्थरों को निकालकर फिर से जमाना।
- स्लूस द्वार के हिस्सों में ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग करना।
- वेस्ट वियर से सटे बाँध के क्षतिग्रस्त हिस्से (यदि कोई हो) को रूपाकिंत सेक्शन के आधार पर सुधार करना।
- वेस्ट वियर के अप–स्ट्रीम एवं डाउन–स्ट्रीम चैनल में बाहरी मिट्टी/बोल्डर धसकने से अवरूद्ध जलमार्ग को ठीक करना।
- वेस्ट वियर के डाउन–स्ट्रीम में स्पिल चैनल की तलहटी की मिट्टी पानी के तेज बहाव से कट जाने की स्थिति में उसका आवश्यक सुधार कार्य।

5.2 **नहरों का रखरखाव** : संबंधित जल उपभोक्ता संथा द्वारा "वाक–थ्रू" के माध्यम से प्रत्येक फसल सीजन के पूर्व (खरीफ एवं रबी की फसलें) सिंचाई की दृष्टि से नहर प्रणाली की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे। साथ ही नहर प्रणाली हेतु प्रावधानित

प्रत्येक संरचना यथा एक्वाडक्ट, क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ग्रामीण पुलिया एवं गेट आदि की स्थिति का भी आंकलन किया जावे।

प्रायः नहरों के रख–रखाव कार्यों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार नहर सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

- नहर की तलहटी से गाद (सिल्ट) निकालना।
- नहर की घांस साफ करना।
- तटों का सुधार कार्य।
- सिंचाई के दौरान, जहाँ–जहाँ छोटी–मोटी नहर टूटी हो, उसका सुधार कार्य।
- नहर संरचनाओं में छोटा–मोटा मेसनरी/कॉंक्रीट का सुधार कार्य
- नहरों में यदि लाइनिंग है तो उसका छोटा–मोटा सुधार कार्य।
- द्वारो का सुधार कार्य यथा गीयर, द्वारों के स्क्रू की ऑलिंग एवं ग्रीसिंग।
- गेट एवं उसको उठानें वाली प्रणाली में पेंटिंग कार्य,
- रोड का सुधार कार्य।

6.0 लक्षित हितग्राही

इस योजना के निम्न हितग्राही होंगें :

6.1 ग्रामीण क्षेत्र के वे समस्त निवासी जो इन तालाबों में संग्रहीत पानी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से लाभ लेते हों।

6.2 ऐसी परियोजनाओं में जो जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत है, में कमान क्षेत्र के समस्त जल उपभोक्ता जो कि जल उपभोक्ता संस्था के सदस्य हैं एवं नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी लेते हैं।

6.3 उपरोक्त के अलावा अन्य योजनाओं में जहां "म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999" के अन्तर्गत जल उपभोक्ता संस्थाओं का कार्याधिकार क्षेत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में कृषि एवं ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं के कमान क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी लेने हेतु गठित जल उपभोक्ता समूह के सदस्य जिनमें वे हिताधिकारी सम्मिलित होंगे जो विषयाधीन जल संरचनाओं से सिंचाई हेतु पानी लेकर लाभान्वित होते हों।

7.0 तालाबों के बंधान एवं नहरों के सामान्य सुधार कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया:

7.1 सामान्यः बांध एवं नहरों के वार्षिक रख–रखाव कार्यो के प्राक्कलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किये जावे। चूँकि वित्तीय वर्ष के दौरान किये जाने वाले सम्भावित रख–रखाव कार्यो का पूर्वानुमान लगाया जाना कठिन है, अतः उक्त प्राक्कलन विगत वर्षो के अनुभव तथा मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् किये गये स्थल निरीक्षण के दौरान परिलक्षित क्षतियों के अवलोकन के आधार पर तैयार किये जावे।

7.2 जल उपभोक्ता संथा के अधीन कार्यक्षेत्र में जल संसाधन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावें जबकि कृषि विभाग के कार्यो हेतु कृषि विभाग के नियमों /मानदण्डों के अनुसार तथा पंचायत कार्यो हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किये जावे। प्राक्कलन सामान्यतः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर के अनुसार इकाई लागत पर आधारित होगा । किन्तु कोई आईटम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सी एस आर में प्रावधानित न होने की स्थिति में ऐसे आईटम जल संसाधन विभाग के सी एस आर पर आधारित होंगे। स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाये।

7.3 तालाबों के बंधान एवं नहरों के सुधार कार्य हेतु प्रस्ताव को तैयार करने के लिए निम्नानुसार सर्वेक्षण करना चाहिए :

1. वर्तमान बंधान/नहर का एल. सेक्शन जिसमें भूमि का लेवल भी दर्शित हो।
2. प्रत्येक 30 मीटर पर बंधान/नहर का क्रास–सेक्शन लेना।
3. बंधान/नहर के सुधार हेतु जिस क्षेत्र से मिट्टी ली जानी है उन क्षेत्रों को 'बॉरो' क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित कर ट्रॉयल पिट लें;
4. कमान क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर लेवल लिया जाना चाहिए जिससे सिंचाई नहर का अलाईनमेन्ट तथा सैंच्य क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही नहर का पानी, किस खेत तक पहुंचता है, इसके बारे में कमान क्षेत्र के कृषकों से जानकारी प्राप्त की जावे।

8.0 तालाब के बंधान/नहर का वार्षिक सामान्य सुधार कार्य कराने का समय :

तालाब/नहर का सुधार कार्य सामान्यतः माह मई से जून एवं सितम्बर से अक्टूबर के बीच ही कराया जावे।

9.0 तकनीकि पहलू : बांध एवं नहर के सुधार कार्यो का क्रियान्वयन बोधी (Bureau of Design & Hydel Investigation) द्वारा जारी परिपत्रों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों तथा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश, के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण (गाद निकालने) व जीर्णोद्धार कार्यो की आयोजना व कियान्वयन के सम्बन्ध में" जारी परिपत्र के अनुरूप किया जावे।

9.1 बाँध की मेढ़ को रूपांकित सेक्शन अनुसार रख–रखाव करना : बाँध की मेढ़ में प्रयुक्त भरती सामग्री (मिट्टी, मुरूम–सॉइल) की गुणवत्ता के अनुसार स्थायी स्लोप में होती है। अतः उस पर कार्य काफी सावधानी से किया जाना आवश्यक होगा। नई मिट्टी

मेड़ पर इस प्रकार डालनी चाहिये कि कार्य पूरा होने पर मेड़ के टॉप लेवल के चालू उपयोग में कठिनाई न हो अर्थात निर्मित नयी चौड़ाई पहले की चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिये। पुरानी मिट्टी पर नयी मिट्टी अच्छी पकड़ करे, इसके लिये पुरानी मेड़ पर हल्की सीढ़ीदार छिलाई (बेंचिंग) नीचे दर्शाये चित्र के अनुसार की जाकर नयी मिट्टी को 2:1 से कम के ढाल में नहीं डालना चाहिये।

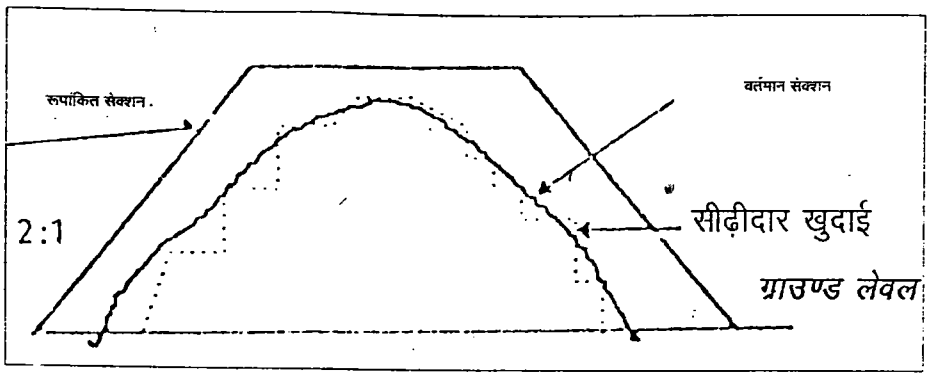

मिट्टी के ढेले तोड़कर धुरमुट से कुटाई करना चाहिये। मिट्टी बेतरतीब नहीं डाली जानी चाहिये। कार्य की प्रगति दिन प्रति दिन स्पष्ट दिखे, इसके लिये मिट्टी एक ओर से दूसरी ओर लगातार डालनी चाहिये।

9.2 नहरों का रख–रखाव कार्य मूलतः नीचे के चित्र में दर्शाये नहरों के प्रमुख लेवल के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए।

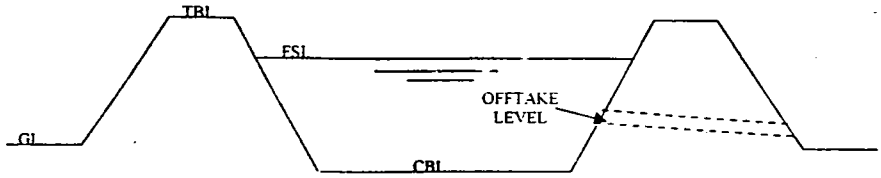

चित्र : रख–रखावों के दौरान अनुश्रवण हेतु नहर सेक्शन के प्रमुख लेवल

9.3 नहरों में जमा हुई गाद की गणना हेतु प्रत्येक 150 मीटर पर अथवा उससे कम दूरी पर क्रास सेक्शन लेवल लिये जावे एवं ग्राफ शीट पर एल. सेक्शन अंकित कर मूल रूपांकित क्रास सेक्शन से तुलना की जावे। कम से कम 50 प्रतिशत लेवल का सत्यापन, सहायक यंत्री, द्वारा किया जावे तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र, नहर के एल. सेक्शन पर हस्ताक्षरित किया जावे. नहर से गाद निकालने का कार्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जा सकेगा।

9.4 नहर सेक्शन में उगी वनस्पति की सफाई के कार्य में सेक्शन में उगी झाड़ियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए। इस कार्य में यदि नहर का सेक्शन खराब होता है तो वहां पर उचित मात्रा में मिट्टी डालकर कुटाई की जानी चाहिए।

10.0 तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

10.1 अ. कार्यों का शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना

लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों का वार्षिक रख रखाव उपयोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का संबंधित उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन संबंधित सहायक यंत्री के माध्यम से संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा परियोजनावार/जनपद पंचायतवार/जल उपभोक्ता संथावार/ग्राम पंचायतवार एकजाई प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा। जिला कलेक्टर पंचायती राज संस्थाओं से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत लघु सिंचाई तालाबों एवं माईनर नहरों के कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के अनुमोदित कार्यों के लिये कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राक्कलन तैयार कराते हुए तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित की जावेगी ।

10.1 ब. तकनीकी स्वीकृति :

7.2 में वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए तैयार किये गये प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जावे। यदि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किसी बंधान/नहर विशेष पर बंधान तथा नहर के वार्षिक रख–रखाव हेतु निर्धारित राशि रूपये 250.0 प्रति हे.टेयर से अधिक राशि का प्राक्कलन बनता है, तो उसकी स्वीकृति, सक्षम अधिकारी से एक पद उच्च श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रदान की जावे। मार्गदर्शन हेतु सेंपल प्राक्कलन अनुलग्नक–"अ" अनुसार है ।

10.2 प्रशासकीय स्वीकृति की प्रकिया :

सभी कियान्वयन एजेन्सियों को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी स्कीम–म.प्र. के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जावें ।

अ. कार्यों का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना

लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों का वार्षिक रख–रखाव उपयोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का संबंधित उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन संबंधित सहायक यंत्री के माध्यम से संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा परियोजनावार/जनपद पंचायतवार/जल उपभोक्ता संथावार/ग्राम पंचायतवार एकजाई प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा। जिला कलेक्टर पंचायती राज संस्थाओं से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत लघु सिंचाई तालाबों, एवं माईनर नहरों के कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा। शेल्फ ऑफ

प्रोजेक्ट के अनुमोदित कार्यों के लिये कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राक्कलन तैयार कराते हुए तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित की जावेगी।

11.0 स्वीकृत कार्यों के संपादन हेतु राशि उपलब्ध कराना :

संबंधित प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी। प्रशासकीय स्वीकृति के अनुरूप कार्य संपादन हेतु जिला पंचायत द्वारा राशि सीधे संबंधित कार्यपालन यंत्री को उपलब्ध कराई जावेगी। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन/ नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा 50% प्रथम किस्त के रूप में तथा शेष 50% राशि अंतिम किस्त के रूप में जल उपभोक्ता संस्थाओं (WUA) के खाते में उपलब्ध कराई जावेगी।

12.0 निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना :

12.1 कंडिका 10.1(ब) में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं कंडिका 10.2 मे प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्यों का ले आउट संबंधित उपयंत्री द्वारा दिया जावे।

12.2 उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. एक श्रमोन्मुखी योजना है अतः कार्यों के क्रियान्वयन में मशीन का प्रयोग कदापि न किया जावे।

13.0 क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

13.1 क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जावे और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

13.2 कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी इसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

13.3 कार्य के पूर्ण होने पर उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र विभाग अपने रिकार्ड में संधारित करेगा। कार्य के निर्माण स्थल पर कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जावेगा जिस पर कार्य का नाम, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित किया जावेगा ।

13.4 संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

13.5 विभाग के आदेश क्र–1688/22/वि–7/NREGS-MP/07, दिनांक 02/07/2007 के अनुसार नस्ती संधारित की जावेगी। इसी प्रकार आदेश क्र.–3665/22/वि–7 /ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस परिपत्र के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

14.0 मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

14.1 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटारेंग करेंगे।

14.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र. के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार से संबंधित कम से कम 20: कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जावेगी।

14.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबो के गहरीकरण व जीर्णोद्धार के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

14.4 कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसी तरह के कार्यों की आयोजना एवं कियान्वयन के लिये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास संचालनालय का गठन किया जा चुका है जिसकी संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित संभागीय आयुक्त हैं। अतः सहस्त्रधारा योजना के अतर्गत प्रारंभ किए जा रहे कार्यों की स्वीकृति एवं उनकी पूर्णता की जानकारी संभागीय आयुक्त एवं संचालक, राज्य स्तरीय कमान क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विभाग को कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग आवश्यक रुप से प्रदान की जायेगी।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

लघु तालाबों के वार्षिक रख–रखाव अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुधार कार्य हेतु सेंपल प्राक्कलन
(बंधान के क्रास सेक्शन की 30मी. लम्बाई एवं औसतन 5मी. ऊंचाई)

क्र.	वार्षिक रख–रखाव/सुधार कार्य का स्वरूप	आयटम का संक्षिप्त विवरण	कालम नं.–3 में दर्शित आइटम के इकाई माप एवं मात्रा का विवरण				दर	राशि	टिप्पणी
			लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	गहराई (मीटर में)	मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बांध के डाउन स्ट्रीम के ढ़ाल पर सामान्य झाड़ियों की सफाई	सामान्य जंगल सफाई (जहां 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र झाड–झंकड से ढ़का हो) में क्षुद्र वनस्पति घांस, झाड़ झंकड़ जड़ से उखाड़ने सहित. (आयटम क्र–0107)	30	10	0	300 वर्ग मी.	0.27	81	
2	बांध के टाप पर सतह का समतलीकरण	मिटटी का काम (सघन या कठोर मिटटी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गडड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.–0304 ख)	30	4.5	0.075	10.125 घन मी.	32.92	333.32	
3	बांध के टाप पर कड़ी मूरम फैलाना	मिटटी का काम (कठोर मुरम में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गडड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.–0304 ग)	30	4.5	0.075	10.125 घन मी.	36.99	374.92	
4	बरसात के कारण बांध के ढ़ाल में उत्पन्न कटाव को कड़ी मिटटी से भरा जाना	मिटटी का काम (सघन या कठोर मिटटी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गडड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.–0304 ख)	30 मी. बांध की लम्बाई में लगभग 1 घन मी. कड़ी मिटटी की मात्रा			1.0 घन मी.	32.92	32.92	
5	बंधान में परिलक्षित दरारों को खोलकर उन्हें फिर से कड़ी मिटटी से भरना	मिटटी का काम (सघन या कठोर मिटटी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गडड़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.–0304 ख)	30 मी. बांध की लम्बाई में लगभग 0.5 घन मी. कड़ी मिटटी की मात्रा			0.5 घन मी.	32.92	16.16	
6	बांध के डाउन स्ट्रीम पर से यदि कही पानी का रिसन हो रहा हो अथवा गीलापन परिलक्षित हो रहा है, तो आवश्यकतानुसार रेत भरी बोरियां रखना	आवश्यकतानुसार	लम्प–सम्प आधार पर 200रू का प्रावधान			-		200-0	

अनुलग्नक – "अ" (I)

लघु तालाबों के वार्षिक रख–रखाव अंतर्गत आवश्यकतानुसार सुधार कार्य हेतु सेंपल प्राक्कलन
(बंधान के क्रास सेक्शन की 30मी. लम्बाई एवं औसतन 5मी. ऊंचाई)

क्र.	वार्षिक रख–रखाव/सुधार कार्य का स्वरूप	आयटम का संक्षिप्त विवरण	कालम नं.–3 में दर्शित आइटम के ईकाई माप एवं मात्रा का विवरण				दर	राशि	टिप्पणी
			लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	गहराई (मीटर में)	मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	डाउन स्ट्रीम ढ़ाल की धसकी मिटटी को रूपांकित ढ़ाल अनुसार पुनः ठीक करना	मिटटी के बांध की बाहरी भीतरी ढलान को काटकर रूपांकन अनुसार तैयार करना दरेसी करना एवं खुदी हुई मिटटी को बांध के उपर बिछाना (आयटम क्र.–2303 ख)	30 मी. बांध की लम्बाई में लगभग 2.0 घन मी. कड़ी मिटटी की मात्रा			2.0 घन मी.	32.92	65.84	
8	बांध की डाउन स्ट्रीम टो से रिसे पानी को निकास नालियों द्वारा एकत्रित कर सुरक्षित करने के परिप्रेक्ष्य में निकास नालियों की सफाई	मिटटी का काम (अद्दढ़ या नरम मिटटी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गडढ़ों में भरना या बंध भराई करना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.-0304 क)	30	1	0.1	3.0 घन मी.	29	87	
9	बांध के डाउन स्ट्रीम ढाल पर चूहे के बिलों को खोजकर उक्त बिलों को साफ कर पुनः कड़ी मिटटी से भरना	मिटटी का काम (सघन या कठोर मिटटी में) खोदी मिटटी से निर्देशानुसार गडढ़ों में भरना ओर उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.–0304 ख)	30 मी. बांध की लम्बाई में लगभग 0.5 घन मी. कड़ी मिटटी की मात्रा	0	0	0.5 घन मी.	32.92	16.46	
10	बांध के अप स्ट्रीम में उबड़-खाबड पिचिंग के पत्थरों को निकालकर फिर से जमाना।	मिटटी के बांध में पत्थरों के मिनारे का निर्माण पत्थरों को बिछाने एवं हाथ से समान घड़ाई करने एवं सतह तैयार करने के साथ (आयटम क्र.–2310 ख)	30 मी. बांध की लम्बाई में लगभग 1 घन मी. पिचिंग के पत्थरों को निकालकर फिर से जमाना			1.0 घन मी.	268.27	268.67	
11	स्लूस द्वार के हिस्सों में आयलिंग एवं ग्रिसिंग करना	आवश्यकतानुसार	लम्प–सम्प 1 स्लूस द्वार के गेट हेतु रू. 200			-	0	200	
12	वेस्ट वियर से सटे बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से (यदि कोई है) को रूपांकित सेक्शन के आधार पर सुधार करना	मिटटी का काम (सघन या कठोर मिटटी में) खोदी मिटटी निर्देशानुसार गडढ़ों में भरना और उपरी सतह को समतल करके सफाई से दरेसी करना (आयटम क्र.–0340 ख)	लम्प–सम्प 1 क्षतिग्रस्त हिस्से हेतु 1.0 घन मी कड़ी मिटटी			1.0 घन मी.	32.92	32.92	

अनुलग्नक - "अ" (II)

लघु सिंचाई नहरों में आवश्यकतानुसार रख–रखाव हेतु सेंपल प्राक्कलन (1 कि.मी. लम्बाई हेतु)

क्र.	सुधार कार्य का स्वरूप	विवरण	माप एवं मात्रा का विवरण				दर	राशि	टिप्पणी
			लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	गहराई (मीटर में)	मात्रा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	द्वारों का सुधार कार्य यथा गीयर द्वारों के स्लूस की ऑलिंग एवं ग्रीसिंग	आवश्यकतानुसार	लम्प–सम्प आधार पर रू. 200 का प्रावधान			0		200	
8	गेट एवं उसको उठाने वाली प्रणाली में पेंटिंग कार्य	आवश्यकतानुसार	लम्प–सम्प आधार पर रू. 200 का प्रावधान			0		200	
9	रोड का सुधार कार्य	पनकुटी पक्की सड़क के गड्ढे भरने हेतु मजदूरी पुरानी सतह की सफाई सहित (आयटम क्र.–2012)	लम्प–सम्प आधार पर 1 कि.मी. रोड सुधार कार्य हेतु कार्य की मात्रा 3.0 घन मी.			3.0 घन मी.	496	1488	
	योग							24044	
	जोड़े 3.5 प्रतिशत वर्कचार्ज एवं कन्टेन्जेन्सी हेतु (लम्प–सम्प आयटम छोड़कर)							842	
	महायोग							रू. 24886	

1. प्राक्कलन में ली गई दरें भोपाल जिले में दिनांक 1.12.07 से प्रभावशील दर अनुसूची अनुसार है।

2. सेंपल प्राक्कलन में अंकित आयटम आदर्श रूप से मार्गदर्शन हेतु है। आवश्यकतानुसार ही, मितव्ययी दृष्टिकोण के अनुसार सीमित आयटम संपादित किया जाना चाहिये।

3. बंधान एवं उसकी नहर पर वार्षिक रख–रखाव पर होने वाला व्यय रूपये 250.0 प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिये।

4. यदि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर **किसी** बंधान/नहर विशेष पर सेंपल प्राक्कलन एवं निर्धारित सीमा से अधिक राशि का प्राक्कलन बनता है, तो उसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से एक पद उच्च **श्रेणी** के अधिकारी द्वारा प्रदान की जावे।